न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 4 / 2015 / दावा

1. हीराराम पुत्र स्व. श्री केशरराम जाति मीणा निवासी ग्राम मकसूदपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादी

बनाम

1. नरसाराम
2. मंगलाराम } पुत्रगण स्व0 श्रीमति चन्दरीदेवी पत्नि स्व0 महादाराम
3. मूलीदेवी पुत्री स्व. श्रीमति चन्दरीदेवी पत्नि स्व. महादाराम
4. गाडूराम पुत्र स्व. श्री केशरराम

समस्त जाति मीणा निवासीगण मकसूदपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

5. उपपंजीयक पलसाना, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
7. प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रैवासा जिला सीकर।
8. प्रबंधक शेखावाटी ग्रामीण बैंक, शाखा कोछोर जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री रामेश्वर प्रसाद बाज्या वकील वादी की ओर सें।
2. श्री आनन्द राड़ वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर सें।

निर्णय

दिंनाक :– 01.08.2019

1. प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर सें आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि वाद में वर्णित आराजियात बाबत इन्ही प्रतिवादीगण के खिलाफ एक आवेदन पूर्व में ही सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक
दांतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

महोदय सीकर के यहां दिनांक 14.12.1997 को ऐसा ही वादकरण दर्शित करते हुए मुकदमा नम्बर 259/1997 पेश किया था जो दिनांक 08.02.2001 को खारिज कर दिया गया था। वादी को डक्त राजस्व रिकॉर्डों की शुरू सें ही जानकारी थी तथा न ही वादी को अब कोई वादकारण उत्पन्न हुआ है। वादी का वाद पृथमदृष्ट्या ही लिमिटेशन के बाहर होने व वादकारण के अभाव में तथा पूर्व वाद के तथ्यों को छुपाने की वजह सें पूर्व न्याय के आधार पर प्रथम दृष्ट्या ही वाद खारिज होने योग्य है अतः आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

2. वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का विरोध प्रकट करते हुये अपने जवाब में अंकित किया कि वादी हीराराम की मृत्यु हो चुकी है तथा कथित वादपत्र के बारे में वादीगण को कोई जानकारी नहीं है तथा न ही प्रतिवादीगण द्वारा उस वादपत्र के निर्णय की प्रति संलग्न की है अगर वाद अदम हाजरी में खारिज किया गया है तो पक्षकारों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तथा पीड़ित पक्ष को नया वाद लाने सें नहीं रोका जा सकता है। साथ ही जवाब आवेदन में कथन किया गया कि उक्त वर्णित भूमियों पर हीराराम ने पुख्ता आवासीय मकान बनाकर आवास निवास कर रहा है तथा काश्त भी करता है वाद इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि पूर्व में भी वाद चला था वाद का निर्णय क्या हुआ यह बिन्दू मुख्य होता है इसलिए प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा पेश आवेदन चलने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादीगणों द्वारा पेश आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जावे।

3. बहस बकुलाय फरीकेन सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं वादपत्र तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। क्योंकि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 7 नियम 11 सीपीसी निम्न आधारों पर है–

(क). जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय सें नियम किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ). जहां वादपत्र में के कथन सें यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण की ओर सें पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा आवेदन में वर्णित पूर्ववर्ती वाद जो न्यायालय सहायक कलक्टर सीकर में पेश किया गया था, की प्रति पेश की गई जिसके अवलोकन सें स्पष्ट है कि उसी अनवान तथा उन्हीं खसरा नम्बरान को लेकर उद्घोषणा हेतु दावा पुनः पेश किया गया है जबकि पूर्ववर्ती वाद अदम हाजरी में खारिज हो चुका है अतः न्यायालय का निष्कर्ष है कि एक ही भूमियों के बाबत बार बार वादकारण उत्पन्न नहीं हो सकता अतः उचित वादकारण प्रतीत नहीं होता है तथा वादी का वाद लिमिटेशन से बाहर है। वाद वादी विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर सें कम व दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

हीराराम बनाम नरसा राम आदि

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं0 04 / दावा सन् 2015 निर्णय दिनांक. 01.08.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार** आर.ए.एस बहाजरी **श्री रामेश्वर प्रसाद बाज्या** मिनजानिब मुद्दई व **श्री आनन्द राड़** मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर सें पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का मूलवाद खारिज किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.08.2019 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर फास्टट्रेक दांतारामगढ

Scanned by CamScanner